

पंचायत आम निर्वाचन, 2021
अतिमहत्वपूर्ण



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या-प0नि0 30-148/2021... 3585

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
मधुबनी।

पटना, दिनांक- 8.9.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-372/निर्वा0, दिनांक-05.09.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त 01 संशोधित मतदान केन्द्र के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र0सं0	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	खुटौना	1	0	1	
	कुल	1	0	1	

मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक- 3585 /-

पटना, दिनांक- 8.9.21 /-

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 3585 /-

पटना, दिनांक- 8.9.21 /-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 3585 /-

पटना, दिनांक- 8.9.21 /-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करे।

प्रपत्र-२

नियम २ (ग) के अधीन
आयोग के अनुमोदन हेतु वेजी जाने वाली संशोधित मतदान केंद्रों की सूची
प्रपत्र-२-सूची-१

क्र०	पूर्व अनुमोदित मतदान केंद्र की सं०	संशोधित हेतु प्रस्तावित मतदान केंद्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/कोटिब	मतदान केंद्र का विस्तार (प्रतिवर्षीय)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की सं० (अ.....सेतक)	मतदान सरकारी/अर्द्धसरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की सं०	मतदान केंद्र वाले के द्वारा तय की जाने वाली अतिरिक्त दूरी	प्रवेश एवं निकाल की व्यवस्था है या नहीं	मतदान केंद्र पर पहुँचने एवं मत देने के कठिनाई को निर्णय को नजर आ-जा सकते हैं या नहीं	स्थल परिवर्तन
१	१८	नरडि०, अनुपरी सर्वदीना मध्य भाग	प्राप्त परिचाद पत्र के विस्तार एवं दलित मतदाताओं के अपने ही वार्ड-१४ में सरकारी स्कूल बन जाने के आलोक में मतदान केंद्र परिवर्तन	चमार तेली टोल १४	१ से ६२४	सरकारी	३	१ कि०मी०	है	है	रखल परिवर्तन

प्रस्तावित किया जाता है कि मतदान केंद्रों का चयन आयोग के दिशा-निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केंद्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केंद्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। दलित मतदान केंद्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित

उप सचिव
मुख्य निर्वाचन आयोग, बिहार

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
-सह-
जिला पदाधिकारी, मधुबनी।